प्रेस नोट दिनांक : 31.08.2026

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा न्यायालय से निर्गत गैर जमानतीय वारंटों के शत-प्रतिशत अनुपालन एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 रवि प्रकाश यादव द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 446/2020 धारा 147/148/149/323/336/504/506 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त आशीष पाल पुत्र रामसुख पाल, निवासी ग्राम घाटमपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को ग्राम घाटमपुर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल, हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन कक्ष संख्या-19 द्वारा गैर जमानतीय वारंट निर्गत था। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-आशीष पाल पुत्र रामसुख पाल, निवासी ग्राम घाटमपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 रवि प्रकाश यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

सर्विलांस सेल के सहयोग से थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 03 अदद ई-रिक्शा बैटरियां बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा की बैटरी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त सोनू सोनकर को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर चोरी की गई 03 अदद ई-रिक्शा बैटरियां बरामद की गई हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना मानिकपुर पर वादी की तहरीर के आधार पर ई-रिक्शा की बैटरियां चोरी किए जाने के संबंध में मु0अ0सं0 221/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त सोनू सोनकर द्वारा अपने साथी रोहन कुमार के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाकर वादी के लाल रंग के ई-रिक्शा को बाग में ले जाकर उसकी बैटरियां निकालकर चोरी की गई थीं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी की संपत्ति की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 30.08.2026 को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा शाहाबाद मुर्गी फार्म को जाने वाले कच्चे रास्ते, ग्राम शाहाबाद के पास से अभियुक्त सोनू सोनकर पुत्र रामबाबू सोनकर निवासी ममरखापुर मिरगढवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 03 अदद चोरी की बैटरियां बरामद की गई। बरामदगी एवं विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सोनू सोनकर पुत्र रामबाबू सोनकर, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ममरखापुर मिरगढवा, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 12/2016 धारा 363/366 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 37/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 67/2024 धारा 380/457 आईपीसी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 234/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 242/2022 धारा 5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, थाना संडीला, जनपद हरदोई।
6. मु0अ0सं0 115/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी।
7. CN 122/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना कड़ाधाम, जनपद कौशाम्बी।
8. मु0अ0सं0 221/2026 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त सोनू सोनकर का आपराधिक इतिहास प्रकाश में आने पर उसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 147A भी खोली गई है।

बरामदगी का विवरण-

01. 03 अदद ई-रिक्शा बैटरी, नीले-पीले रंग की, ईस्टमैन कम्पनी।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह मय का0 रामदेव गौतम, का0 भीमराव, का0 दर्वेश कुमार, का0 आर्यन कुमार, का0 अमन यादव एवं म0का0 निधि यादव, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त पवन कुमार पटेल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर के नेतृत्व में उ0नि0 अमरनाथ सिंह मय हमराह का0 ध्यानचन्द्र, का0 अमन यादव व का0 मुकेश सिंह द्वारा तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन गढ़ी मानिकपुर के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त पवन कुमार पटेल पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी दुईजी का पुरवा पलये, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. पवन कुमार पटेल पुत्र अर्जुन प्रसाद, निवासी दुईजी का पुरवा पलये, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमरनाथ सिंह मय हमराह का0 ध्यानचन्द्र, का0 अमन यादव व का0 मुकेश सिंह, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 पवन वर्मा मय हमराह रि0का0 पूर्णेन्द्र व रि0का0 गौरव आर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान वारण्टी अभियुक्त मुन्ना विश्वकर्मा उर्फ शिव प्रसाद पुत्र धर्मराज विश्वकर्मा निवासी ग्राम मकईपुर (बक्शू का पुरवा), थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त केश नं0 367/2019, मु0अ0सं0 168/2019 धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ में माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

1. मुन्ना विश्वकर्मा उर्फ शिव प्रसाद पुत्र धर्मराज विश्वकर्मा निवासी ग्राम मकईपुर (बक्शू का पुरवा), थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 पवन वर्मा मय हमराह रि0का0 पूर्णेन्द्र एवं रि0का0 गौरव आर्या, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर साधू सिंह पुत्र ठकुरी सिंह, उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी ग्राम जामताली, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 31.08.2026 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मा0

न्यायालय F.T.C.-II, प्रतापगढ़ द्वारा फौ0वाद सं0 1704237/04, राज्य बनाम साधू सिंह, अ0सं0 203/94, धारा 233, 504 भादवि0, थाना रानीगंज से संबंधित गिरफ्तारी वारण्ट निर्गत किया गया था। अभियुक्त को वारण्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
साधू सिंह पुत्र ठकुरी सिंह, उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी ग्राम जामताली, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह रि0का0 चन्द्रभान यादव एवं रि0का0 आकाश पाण्डेय, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी NBW के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना कंधई पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अफसर पुत्र जुमई, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे देवाजानी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अ0सं0 447/2018, धारा 147/452/354ख/323/506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना कंधई से संबंधित NBW निर्गत था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अफसर पुत्र जुमई, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे देवाजानी, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 जय प्रकाश मय हमराह हे0का0 बदीनारायण सिंह, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी के अनुसार उसकी पुत्री अफसाना बानो का विवाह दिनांक 20.08.2024 को सोनू पुत्र पप्पू के साथ हुआ था। विवाह के बाद से पति सोनू, देवर मोनू, सास हसीना बानो, ननद सोनी एवं एक अज्ञात ननद द्वारा तीन लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि दिनांक 02.08.2026 को दहेज की मांग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा अफसाना बानो के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 11.08.2026 को वादी आबिद अली की तहरीर पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 302/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 302/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्ता हसीना बानो पत्नी स्व0 अब्दुल मजीद, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम गंगाबक्स का पुरवा मजरे जेवई, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को मुखबिर की सूचना पर बसन्तगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
1-हसीना बानो पत्नी स्व0 अब्दुल मजीद, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम गंगाबक्स का पुरवा मजरे जेवई, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
म0उ0नि0 दीपिका सिंह मय उ0नि0 दीपक कुमार, का0 नितीश यादव एवं म0का0 लालती यादव, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।